In the court of Sri Rishi Kumar Singh, Principal Judge, Family Court, Vaishali at Hajipur
Divorce (Matrimonial) Case No:-189/2026

उत्कर्ष कुमार प्रिन्स, पिता अरूण कुमार ओझा,
साकिन मौजा जहॉगीरपुर सलखन्नी, वार्ड नं0–1, पो0
जहॉगीरपुर सलखन्नी, थाना महुआ, जिला वैशाली।

.....आवेदक

बनाम

रानी कुमारी पति उत्कर्ष कुमार प्रिन्स, पिता गरीबनाथ उर्फ वेदनाथ मिश्रा,
वर्तमान पता–मौजा जुड़ावनपुर बरारी, पो0 जुड़ावनपुर बरारी,
थाना जुड़ावनपुर, जिला वैशाली।

.....विपक्षी

Web Copy not Official

आदेश

22.05.2026 अभिलेख आज वाद ग्रहण के विन्दु पर आदेश हेतु उपस्थापित किया गया। प्रस्तुत वाद आवेदक की ओर से हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 एवं 14 अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

अभिलेख का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से संक्षेप में वाद इस प्रकार है कि आवेदक उत्कर्ष कुमार प्रिंस ने विपक्षी/पत्नी के साथ अनुष्ठापित विवाह दिनांक 08.02.2026 को सम्पन्न विवाह के विवाह विच्छेद हेतु इस आधार पर आवेदन दाखिल किया है कि विपक्षी/पत्नी संतान सुख प्राप्त कराने के योग्य नहीं है एवं उसे तरह–तरह की स्त्री रोग है, जिसका सही ढ़ंग से उपचार होने पर विपक्षी मातृत्व सुख प्राप्त कर सकेगी तथा विपक्षी का गलत संबंध अपने मायके के राजा कुमार पिता लालबाबू सिंह के साथ है, जिससे वह बराबर मोबाईल पर बात करती रहती है। साथ ही विपक्षी का गलत संबंध शादी के पूर्व अपने बहनोई अभीजित कुमार द्विवेदी पिता अरूण कुमार द्विवेदी के साथ भी था एवं वर्तमान में विपक्षी का नाजायज संबंध राजा कुमार से होने की बात पता चला। विपक्षी द्वारा उपरोक्त तथ्यों को छिपाकर आवेदक से विवाह कराया गया है। जिससे आवेदक का विपक्षी/पत्नी के साथ शादी बंधन में रहना मुमकिन नहीं है। अंततः आवेदक के द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान करने हेतु वाद दाखिल किया गया है।

परिशीलन में यह भी दर्शित हुआ है कि आवेदक की ओर से विवाह विच्छेद का आवेदन विवाह की तिथि से एक वर्ष के अंदर प्रस्तुत किये जाने की अनुमति बावत आवेदन पत्र धारा 14 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

In the court of Sri Rishi Kumar Singh, Principal Judge, Family Court, Vaishali at Hajipur
Divorce (Matrimonial) Case No:-189/2026

लगातार
22.05.2026

किया गया है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक बहस में धारा 14 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में अनुमति प्रदान किये जाने की बात कही गयी है। उपरोक्त धारा 14 का प्रावधान का अवलोकन आवश्यक हो जाता है। धारा 14 के अनुसार ये सामान्य नियम है कि विवाह के एक वर्ष के अंदर विवाह विच्छेद की अर्जी का निषेध है। जिसका उदेश्य यह है कि पति/पत्नी को जल्दबाजी में अलग होने से रोकना तथा रिश्ते को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। इसी धारा 14 में इस सामान्य नियम के लिए दो अपवाद का उल्लेख है जिसमें एक वर्ष से पहले विवाह विच्छेद की याचिका सम्भव है जब मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट का हो या विपक्षी की असाधारण दूराचारिता से युक्त हो।

परिशीलन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्वीकृत तथ्य के रूप में स्पष्ट दर्शित हुआ है कि आवेदक एवं विपक्षी के बीच अनुष्ठापित विवाह की तिथि 08.02.2026 है और आवेदक के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद दिनांक 05.05.2026 को दाखिल किया गया है, जो विवाह तिथि से करीबन तीन माह की अवधि के अंदर होना दर्शित होता है। उपरोक्त प्रावधान के आलोक में आवेदक का आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेज के परिशीलन से दर्शित होता है कि विपक्षी अपनी स्वेच्छा से अपने मायके जाकर रह रही है। इस प्रकार यह दर्शित होता है कि विपक्षी वर्तमान में आवेदक के घर पर उसके साथ नहीं है। इसलिए प्रस्तुत मामला धारा 14 के अधीन अपवादिक परिस्थितियों का बनता प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 14 हि0वि0अधि0 अन्तर्गत को अस्वीकृत किया जाता है। तदनुसार धारा 14 का आवेदन खारिज किया जाता है। आवेदक यदि चाहें तो धारा 14 की नियत वैधानिक समय अवधि (एक वर्ष) के पश्चात् धारा 13 अन्तर्गत विवाह विच्छेद हेतु वाद दाखिल कर सकते हैं।

(लेखापित)

प्रधान न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official

In the court of Sri Rishi Kumar Singh,
Principal Judge, Family Court, Vaishali at Hajipur
Divorce (Matrimonial) Case No:-189/2026

Web Copy not Official